न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 656–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–2012 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 202/2009–10/स्वमेव निगरानी.

.....

1– नीरज आयु 27 वर्ष
2– उमेश आयु 25 वर्ष व्यवसाय कृषक
पुत्रगण ज्ञानसिंह पुत्र घासीराम (मृतक अनावेदक)
निवासीगण ग्राम बरौआ नूराबाद
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर
2– विजय अग्रवाल तत्कालीन नायब तहसीलदार
वृत्त–2 लश्कर, तहसील ग्वालियर
3– जगदीश सिंह धाकड़ पुत्र शंकर सिंह धाकड़
पटवारी हल्का नं. 32 ग्राम बरौआ नूराबाद
तहसील व जिला ग्वालियर
(अनावेदक क्रमांक 2 व 3 प्रोफार्मा पक्षकार) ..... अनावेदकगण

.....

श्री बृजमोहन जोशी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच.के. अग्रवाल अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 30 मई, 2013)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर को प्रतिवेदन दिनांक 22–5–2010 इस आशय का प्रेषित किया गया कि प्रकरण क्रमांक 04/87–88/अ–19 उन्मान ज्ञानसिंह पुत्र धासीराम जाति किरार, निवासी ग्राम बरौआ नूराबाद, तहसील व जिला ग्वालियर में तहसील न्यायालय द्वार दिनांक 2–6–1988 को आदेश पारित कर ग्राम बरौआ नूराबाद, तहसील व जिला ग्वालियर स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 220/7 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, सर्वे क्रमांक 825 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, सर्वे क्रमांक 866 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का व्यवस्थापन ज्ञानसिंह के पक्ष में किया गया है । उक्त व्यवस्थापन में अनेक अनियमितताएं की गई हैं, अतः तहसीलदार का उक्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाये । अपर कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का उक्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक 202/2009–10/स्वमेव निगरानी में दर्ज किया जाकर आवेदकगण के पिता स्वर्गीय ज्ञानसिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 29–9–2012 को आदेश पारित कर स्वर्गीय ज्ञानसिंह के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन निरस्त किया गया एवं प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये, साथ ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार वृत 2 लश्कर, तहसील व

जिला ग्वालियर के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ को भेजे जाने के लिए आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी स्थापना को भेजने जाने तथा तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र लश्कर जिला ग्वालियर को भेजे जाने के आदेश भी दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) संहिता की धारा 50 के तहत राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत जारी आदेशों के विरूद्ध स्वमेव निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर न्यायालय को नहीं है, कारण कि तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक 3 (अ) के तहत पट्टा जारी किया गया है, और म.प्र. शासन राजस्व शाखा 2 विभाग द्वारा ज्ञापन कमांक 441/एफ/1–13/1977 स में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि स्वप्रेरणा से किसी भी अतिक्रमण के मामले को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर आदेश पारित करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा । उक्त ज्ञापन के "अ" क्लॉज के अंतर्गत कलेक्टर को केवल अपील सुनने का अधिकार है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस में स्वमेव निगरानी में तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 2–6–1998 को निरस्त करने के मुख्य आधार यह बताये गये हैं कि प्रकरण में विधिवत इश्तहार जारी नहीं किया गया, इश्तहार में दिनांक अंकित नहीं है, तहसीलदार के पद की सील व मुद्रा अंकित नहीं है, तामील कुनन्दा की रिपोर्ट में दिनांक अंकित नहीं है । इश्तहार का विधिवत प्रकाशन नहीं कराया जाना एक तकनीकी बिन्दु है, और यह कार्यवाही आवेदकगण को नहीं करनी थी, उपरोक्त वर्णित कार्यवाहियां प्रशासनिक अधिकारियों को करना थी । इश्तहार प्रकाशित हुआ उस पर दिनांक अंकित है या नहीं, तहसीलदार के न्यायालय की सील सिक्के लगे हैं अथवा नहीं, तामील कुनन्दा ने तामील पर दिनांक अंकित

किया है अथवा नहीं, यह सब प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य है । प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि से हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

(3) राजस्व पुस्तक परिपत्र के भाग 4 खण्ड 3 की कंडिका 30 में निगरानी का अधिकार इस न्यायालय को है, कलेक्टर को निगरानी का अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नहीं है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

(4) नोटिस में उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि आवेदक का कब्जा लम्बे समय से होना प्रमाणित नहीं है, क्योंकि यदि पटवारी द्वारा कब्जा अंकित नहीं किया गया, तो यह पटवारी की भूल है । संहिता में कब्जा लिखे जाने का प्रावधान नहीं होने से आवेदकगण अपने 20–25 वर्षों के कब्जे को खसरे में अंकित नहीं करा सके ।

(5) यह मान भी लिया जाये कि कलेक्टर को स्वमेव निगरानी में तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है, तब भी इस बावत् पूर्ण स्थापित न्याय सिद्धांत है कि स्वमेव निगरानी शक्तियों का प्रयोग युक्ति युक्त समय में करना चाहिए । कलेक्टर के द्वारा आदेश पारित होने के करीब 22 वर्ष बाद स्वमेव निगरानी में तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है, जो कि युक्ति युक्त समय नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2009 आर.एन. 251, 2008 आर.एन. 242, 1993 आर.एन. 259, 2005 आर.एन. 66, 1998 (1) नोट 26 एम.पी.डब्ल्यू.एन. एवं 2004 आर.एन. 89 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क 10 दिवस में प्रस्तुत किए जाने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाए गए आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला

गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जिस इश्तहार का प्रकाशन किया गया है, उसमें सर्वे नम्बर की नोईयत अंकित नहीं है, और तामील कुनन्दा द्वारा इश्तहार के प्रकाशन का दिनांक अंकित नहीं किया गया है कि ग्राम की चौपाल एवं तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किस दिनांक को इश्तहार चस्पा किया गया । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा इश्तहार का विधिवत प्रकाशन नहीं कराया गया है । तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण के पिता स्वर्गीय ज्ञान सिंह का 15–20 वर्षों से कब्जा होना बताया गया है, परन्तु उसके समर्थन में साक्ष्य में लेखीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे 15–20 वर्ष पूर्व से ज्ञानसिंह का कब्जा प्रमाणित हो सके । पटवारी द्वारा भी केवल मौखिक रूप से वर्ष 1984–85 से स्व. ज्ञानसिंह का कब्जा होना बताया गया है, परन्तु लेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । तहसीलदार द्वारा मौके पर स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया है । स्पष्टतः तहसीलदार द्वारा स्व. ज्ञानसिंह के पक्ष में बिना नियमों एवं प्रकिया का पालन किए व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है । कलेक्टर के उपरोक्त निष्कर्ष की पुष्टि तहसील न्यायालय के प्रकरण से होती है । अतः कलेक्टर द्वारा आवेदकगण के पिता स्व. ज्ञानसिंह के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदकगण की ओर से उठाया गया यह आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा इश्तहार के प्रकाशन में की गई त्रुटि के लिए पक्षकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा की गई अवैध कार्यवाही को इस आधार पर वैध मान्य नहीं किया जा सकता है कि तहसीलदार की कार्यवाही के लिए पक्षकार जिम्मेदार नहीं है । आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार भी अमान्य किए जाने योग्य है कि कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र के भाग 4 खण्ड 3 की कंडिका 3–क में कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार दिया गया है । उनका यह तर्क भी अमान्य किए जाने योग्य है कि संहिता में कब्जा लिखे जाने का प्रावधान नहीं होने से आवेदकगण कब्जा अंकित नहीं करा सके, क्योंकि पटवारी को मौके पर स्थल निरीक्षण कर कब्जा लिखने का अधिकार प्राप्त

है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर